पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांकः 30.01.2019

विषय :– मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 47/2013, मनमोहन लखेड़ा बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 18.06.2018 को दिये गये आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय,, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 24083/2018 में दिनांक 04.07.2018 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध मे।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, ऊर्जा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 190/I(2)/2019–05–15/201(टी0सी0) दिनांक 21.01.2019 की छायाप्रति आपको संलग्नकों सहित इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये निर्देशों का स्वयं तथा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से नैष्ठिक अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः 150 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त पत्र को संलग्नको सहित पिटकुल की वैबसाइट में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

संख्या– 190 / I(2)/2019-05-15/2016(टी0सी0)

प्रेषक, No. 190 /MD/PTCUL/ 61 Dt. 22.1.19

लक्षमण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Dir. Op./ Dir(HR)

सेवा में,

1 प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड, लि0
देहरादून।

2 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

3 प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 21 जनवरी, 2019

विषयः– **मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 47/2013, मनमोहन लखेडा बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 18.06.2018 को दिये गये आदेशों के विरूद्व मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 24083/2018 में दिनांक 04.072018 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के कियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में है।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–3 के पत्र संख्या 28 IIII(3)/18-03 (पी0आई0एल0)/2013 दिनांक 13.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के पत्र दिनांक 11.07.2018 को प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के पत्र में उल्लिखित आदेशों के कम में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– **यथोपरि**

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

DGM (HR)

Director - HR
PTCUL

Director (HR) Office
No. 150
Date 22.1.19
PTCUL, Dehradun

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 110
File
Date 22/01/19

Verma G.O letter

1488/113/12

संख्या–28 /III(3)/18–03(पी0आई0एल0)/2013

7936/Secy(E)/2018

AS(2) Energy

For necessary compliance please. 13/7/18

(राधिका झा)
सचिव
...स, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊ...
उत्तराखण्ड शासन

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक: 13, जुलाई, 2018

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका सं0 47/2013, मनमोहन लखेड़ा बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 18.06.2018 को दिये गये आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0– 24083/2018 में दिनांक 04.07.2018 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0– 300 दिनांक 11.07.2018 में अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विषयगत रिट याचिका में दिये गये आदेशानुसार शासकीय सम्पत्तियों/भूमियों/मार्गों से अतिक्रमण चिन्हांकित कर निगम द्वारा नोटिस जारी करते हुये सुनवाई के उपरान्त अतिक्रमण को समयबद्ध रूप से हटाया जाना है। नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों की सम्पत्तियों के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं सम्पत्तियों पर अतिक्रमण का विवरण उपलब्ध न होने के कारण मा0 न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पा रही है।

2. उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा जनहित याचिका सं0 47/2013, मनमोहन लखेड़ा बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 18.06.2018 को तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 सं0– 24083/2018 में दिनांक 04.07.2018 को दिये गये आदेशों के अनुपालन में देहरादून स्थित नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवैध अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। (मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2018 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2018 को निर्गत आदेश मा0 न्यायालयों की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।)

3. अतः इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11.07.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभागों के अन्तर्गत नोडल अधिकारी नामित करते हुये मा0 न्यायालय के आदेशानुसार समिति का गठन करते हुये अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किये जाने, तदोपरान्त सुनवाई की कार्यवाही एवं अतिक्रमण चिन्हित किये जाने एवं अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

16.7.18

भवदीय,
OmPrakash
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमांक-27

कार्यालय नगर निगम देहरादून

दूरभाष-0135-2655620, 2714074, फैक्स-0135-2651060
Email- nagar_nigam2008@yahoo.com,nagarnigam.ddn@gmail.com

संख्या 300/ST/018 दिनॉक 11/07/018

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः— **मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं0-47/2013 मनमोहन लखेडा वनाम राज्य व अन्य में दिनॉक 18.06.2018 को पारित आदेश एवं एस0एल0पी0 डायरी नं0-2483/2018 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनॉक 04.07.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं0-47/2013 मनमोहन लखेडा वनाम राज्य व अन्य में दिनॉक 18.06.2018 को पारित आदेश एवं एस0एल0पी0 डायरी नं0-2483/2018 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 04.07.2018 के अनुपालन में शासकीय सम्पत्तियों/भूमियों/मार्गों से अतिक्रमण चिन्हांकित कर नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करते हुए सुनवाई उपरान्त अतिक्रमण को समयबद्व रूप से हटाया जाना है। नगर निगम देहरादून द्वारा अपनी सम्पत्तियों/भूमियों पर मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए नोटिस जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है परन्तु नगर निगम देहरादून के पास अन्य विभागों की सम्पत्तियों के स्वामित्व सम्बन्धी अंभिलेख एवं उनपर हुए अतिक्रमण का विवरण उपलब्ध नहीं हैं जिस कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने स्तर पर अतिक्रमणकर्ता को विभागीय नियमों के अन्तर्गत नोटिस जारी करने, सुनवाई करने एवं सुनवाई उपरान्त अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष तत्काल एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए अतिक्रमण चिन्हांकन हेतु अपने-अपने विभागों में एक समिति गठित करते हुए तीन सप्ताह का नोटिस जारी करें एवं सुनवाई उपरान्त अतिक्रमण हटाने एवं चिन्हित अतिक्रमण की दैनिक सूचना नोडल अधिकारी का नाम, दूरभाष नम्बर सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुभाग PWD-3

12.07.18

भवदीय

(विजय कुमार जोगदण्डे)
आई0ए0एस0
नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।